

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम


नांक	फर्द अहकाम	
	<p>मु. नं 60/17 तारीख रज् 4.9.17</p> <p>उजवान - रत्नीराम क्नाम दलगंजी वगैरे</p> <p>प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा धारा 112</p> <p>प्रार्थी की ओर से सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 112 के तहत प्रेष किया। प्रस्तुत दस्तोके का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अ प्रार्थीगण को जरिये सम्मन से तलब कर दिनांक 8-9-17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जगदीश आर्य उप जिला कलेक्टर टोडाभीम</p>	<p>4643/48 4.9.17</p>
8.9.17	<p>प्रार्थी वकील उपर। अ प्रार्थी नं. 6 की ओर से श्री राम शंरी ही युवा ADV. ने मीमो प्रेष किया। अ प्रार्थी नं. 1, 3, 4 के नोटिस चल्यानगी से तादीत डर डी कायज्ज डर चल्यान उपस्थित नहीं है। इनके विकरड एक पक्षीप कार्रवाही की जाती है। अ प्रार्थी नं. 2 का नोटिस डरन तादीत जास हुआ है। अ प्रार्थी नं. 5 का नोटिस चापिस जास नहीं है। वारी वकील अ प्रार्थी नं. 2, 5 के सम्मन तापवाना पुनः प्रेष करे। आर्डना दि 11.9.17 को प्रेष हो।</p>	
1.9.17	<p>वकुलाय उपर। गताउत्प वीले तलबी दि 6.10.17 का प्रेष हो।</p>	

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
6-10-17	<p>वकुलाय उप० / अप्रापे नं. 5 कावचरुद खत्या उपस्थित नरु                      उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है अप्रापे                      नं. 2 का नोटिस तलवाना पेश करे / वास्ते तलबी जवाब                      व का (तनाम) पेश करे दि० 14-11-17 को पेश हो।</p>
14-11-17	<p>वकुलाय उप० / अप्रापे नं. 2 का नोटिस तलवाना पेश करने                      की हिदायत की / वास्ते तलबी व जवाब दि० 18-12-17                      को पेश हो।</p>
18-12-17	<p>वकुलाय उपस्थित / वास्ते तलबी दि० 12-1-18                      को पेश हो।</p>
12-1-18	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य प्रस्तावित                      रखा गया है। गतानुसार दिनांक <del>21-1-18</del>                      को पेश हो।</p>
31-1-18	<p>वकुलाय उपस्थित / गतानुसार दिनांक                      21-2-18 को पेश हो।</p>
21-2-18	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी <u>शुभानामा</u>                      की पत्रावली है। अतः पत्रावली गतानुसार                      दिनांक <del>26-3-18</del> को पेश हो।</p>
26-3-18	<p>वकुलाय उप० / प्रापे वकील अप्रापे नं 02 के सम्मन तलबी                      पेश करे। अप्रापे वकील लखवाव दिनांक 25-4-18 को पेश हो।</p>
25-4-18	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी <u>शुभानामा</u>                      पर है। अतः पत्रावली गतानुसार <u>के.प.करीम</u>                      दिनांक <del>5-6-18</del> को पेश हो।</p>

मीम

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम	
	<p><u>S-6/18</u> पत्रावली राजस लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर करीरी में पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील कक्जुड सूचना उपस्थित नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजिरी एवं अदम चेशके में रवाजि किया जाता है। पत्रावली क्रैसल शुमार होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।</p> <p style="text-align: center;"> उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)</p>	